न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01, ब्यावर

पीठासीन अधिकारी:– डॉ. वीनू नागपाल (RJS)(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

–––––

दाण्डिक अपील संख्याः– 37/2025

सी.आई.एस. संख्याः– 37/2025

–––––

श्री छीतर सिंह पुत्र मंगल सिंह, निवासी–ग्राम सूरजपुरा (खरवा) पुलिस थाना ब्यावर सदर, जिला ब्यावर।

–––अपीलार्थी/अप्रार्थी

ः बनाम ः

श्रीमती उगमा उर्फ सुगना पुत्री नारायण सिंह, पत्नी छीतर सिंह, निवासी– ग्राम सूरजपुरा (खरवा) पुलिस थाना ब्यावर सदर, जिला ब्यावर, हाल सोडपुरा (प्रतापगढ) तहसील रायपुर, जिला ब्यावर।

–––प्रत्यर्थी/प्रार्थिया

दाण्डिक अपील अंतर्गत धारा 29 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 विरूद्व निर्णय दिनांक 20.02.2025, जो कि पीठासीन अधिकारी श्री महावीर चारण, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं–1, ब्यावर द्वारा फौजदारी परिवाद संख्या 260/2015 अजनाम श्रीमती उगमा उर्फ सुगना बनाम छीतर सिंह व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. **श्री तुषार दुबे,** अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी/अप्रार्थी
2. **श्री नेपाल सिंह रावत,** अधिवक्ता वास्ते, वास्ते प्रत्यर्थी/प्रार्थिया

–ः नि र्ण य ः– **दिनांकः– 30.04.2026**

1– यह दाण्डिक अपील अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं–1, ब्यावर द्वारा परिवाद संख्या 260/2015 अजनाम श्रीमती उगमा उर्फ सुगना बनाम छीतर सिंह व अन्य, परिवाद अंतर्गत धारा 12 सपठित धारा 18, 19, 20, 22 व 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 20.02.2025 से क्षुब्ध होकर इस न्यायालय में दिनांक 12.03.2025 को प्रस्तुत की गई। आलौच्य निर्णय/आदेश के अनुसार अपीलार्थी/अप्रार्थी को प्रत्यर्थी/प्रार्थिया के साथ घरेलू हिंसा कारित नहीं करने तथा प्रत्यर्थी को 5000/–रुपये एवं उसके पुत्र शेरसिंह की शिक्षा–दीक्षा व उज्ज्वल भविष्य के लिए 7000/–रुपये प्रतिमाह प्रार्थना पत्र की प्रस्तुति की दिनांक 14.02.2015 से

अदा करने एवं घरेलू हिंसा से हुई शारीरिक व मानसिक पीड़ा के लिए 5000/–रुपये दिलाए जाने का निर्णय पारित किया गया।

2– विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिया ने एक परिवाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया, कि परिवादिया का विवाह अप्रार्थी संख्या 01 के साथ हिंदू रीति रिवाजानुसार करीब 10 साल पहले ग्राम सोडपुरा प्रतापगढ़ में सम्पन्न हुआ था। अप्रार्थी भारतीय सेना में सेवारत है तथा प्रतिमाह 25 से 30 हजार रूपये की वेतन पाता है। विवाह में प्रार्थीया के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़ चढकर दहेज का सामान दिया था। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 01 के आपसी संसर्ग से 03 संतानें उत्पन्न हुई, जो कि क्रमशः अंजली, सूरज, शेरसिंह है। विवाह के काफी समय तक तो प्रार्थीया के पति का व्यवहार ठीक रहा, किंतु अप्रार्थी आदतन शराबी है तथा अप्रार्थी के अन्य स्त्रियों से नाजायज संबंध है और प्रार्थीया को अपशब्द कहकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करता था। प्रार्थीया को उसका पति घर खर्च भी नहीं देता। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 ने पूर्व में भी प्रार्थीया के साथ मारपीट करके घर से निकाल दिया तथा प्रार्थीया के तेज धारदार हथियार से वार करके घायल कर दिया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थिया संख्या 03 को घर में डाल रखा है तथा उससे नाता विवाह भी कर लिया है।अतः प्रार्थीया को एकमुश्त भरण पोषण राशि 5,00,000/– रूपये व प्रार्थना पत्र के अंतिम निस्तारण तक अंतरिम राशि 10,000/–रूपये मासिक प्रार्थीया को दिलाए जाने का निवेदन किया इत्यादि।

जिसके खंडनस्वरूप अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थिया का मुकलावा सन 2007 में हुआ था। प्रार्थीया को विवाह में दिये गए जेवरात प्रार्थीया के कब्जे में चले आ रहे हैं। पुत्र शेरसिंह प्रार्थीया के पास रह रहा है तथा शेष दोनों बच्चे सूरज व अंजली अप्रार्थी संख्या 01 के पास ही रह रहे हैं। प्रार्थीया को विवाह के पश्चात राजीखुशी रखा गया। अप्रार्थी संख्या 01 भारतीय सेना में कार्यरत है, वह अधिकतर समय अपनी ड्यूटी पर ही रहा है। अवकाश के दिनों में अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीया के साथ न तो कोई मारपीट की और न कोई क्रूरता की। कुछ समय बाद से ही प्रार्थीया की माता प्रेमदेवी एवं भाई हुकम सिंह का अप्रार्थी संख्या 01 के वैवाहिक जीवन में दखल देना प्रारंभ हो गया तथा प्रार्थीया बार बार पीहर जाने की जिद करने लग गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ड्यूटी अधिक्तर बाहर ही रहती है, पीछे गांव मे अप्रार्थीया संख्या 02, जो कि 62 वर्षीय वृद्ध माता गांव में अकेली रहती है। किंतु प्रार्थीया अप्रार्थीया संख्या 02 की कभी कोई सेवा चाकरी, देखभाल, सार संभाल नहीं करती थी तथा उसके साथ हरसमय लडाई झगडा, गाली गलौच एवं तानाकशी एवं छींटाकशी करती रहती थी। अप्रार्थीया संख्या 02 को ही वृद्धावस्था में तमाम घरेलू कार्य करने पडते हैं, जिसकी वजह से उन्हे मानसिक एवं शारीरिक रूप से काफी प्रताडित होना पडता है। प्रार्थीया अपनी माता एवं भाई की बहकावट के चलते सन् 2014 में अप्रार्थीया संख्या 02 को बिना बताये अपना तमाम

सामान लेकर तथा पुत्र शेरसिंह को लेकर अपने पीहर जाकर बैठ गई, तबसे ही प्रार्थीया अपने पीहर में ही निवास कर रही है। इस दौरान अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीया को तथा उसकी माता व भाई को स्वयं तथा मौतबीर व्यक्तियों के माध्यम से कई बार समझाईश की गई। किंतु ना तो प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 01 के पास ससुराल आई और ना ही उसके माता व भाई ने ही उसे ससुराल भेजा। अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीया के विरूद्ध धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत दांपत्य संबंधों की पुनर्स्थापना की याचिका भी प्रस्तुत की। जिसमे सम्मन तामीली हो जाने के बावजूद भी प्रार्थीया बदनियतिवश उपस्थित नहीं हुई है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज कर अप्रार्थीगण को प्रार्थीया से विशेष एवं प्रतिकात्मक व्यय दिलाये जाने का निवेदन किया।

3– अप्रार्थीया संख्या 03 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर परिवाद पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अंकित किया कि वह कभी अप्रार्थी संख्या 01 के साथ नहीं रही है। अप्रार्थीया स्व. श्री हरीसिंह की विवाहित पत्नी है तथा उसके पति श्री हरीसिंह का स्वर्गवास हो चुका है तथा वह वर्तमान में स्व. श्री हरीसिंह की विधवा के रूप में ही निवास कर रही है। प्रार्थीया ने अप्रार्थीया पर पूर्णतया गलत, झूठे आरोप लगाये है जिसकी वजह से अप्रार्थीया की काफी मानहानि कारित हुई है। प्रार्थीया ने मौजूदा प्रकरण में अप्रार्थीया का नाम भी निर्मला अंकित किया है तथा उसका पता भी ग्राम नून्द्री मेन्द्रातान अंकित किया है। जबकि अप्रार्थीया का नाम निरमा है तथा वह ग्राम रतनपुरा पोस्ट सुहावा तहसील ब्यावर की निवासी है। ग्राम नून्द्री मेन्द्रातान में अप्रार्थीया का पीहर है। प्रार्थीया द्वारा जो प्रकरण दर्ज करवाया गया था, वह गलत एवं झूठा दर्ज करवाया था। उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान धारा 494 आईपीसी के तहत कोई अपराध बनना नहीं पाया गया था। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीया को अकारण ही तंग परेशान करने की बदनियति से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

4– प्रार्थिया/प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू 1 उगमा, गवाह पी.डब्ल्यू 2 डाली देवी, गवाह पी.डब्ल्यू 3 हुकुम सिंह के बयान लेखबद्ध कराए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी. 01 लगायत प्रदर्श पी. 03 भी प्रदर्शित करवाए।

5– अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी गवाहान को परीक्षित नहीं करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी–1 लगायत प्रदर्श डी–9 पेश कर प्रदर्शित करवाए।

6– पक्षकारान के उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विचारणीय बिंदु तय किये गएः–

(1) क्या अप्रार्थीगण ने परिवादिया के साथ मारपीट एवं गाली गलौच कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ घरेलू हिंसा कारित की? यदि हां, तो उचित दंड क्या होगा ?

(2) अनुतोष।

7– विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2025 को प्रकरण में बहस अंतिम सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय व आदेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

8– उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। अपील व विचारण न्यायालय की पत्रावली व आलौच्य निर्णय का अवलोकन किया गया।

9– दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी/अप्रार्थी ने पेश हस्तगत अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय दिनांक 20.02.2025 पत्रावली पर विद्यमान मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के संतुलन के सर्वथा विपरीत व विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्तनीय है। प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया सदैव ही अपीलार्थी के ड्यूटी पर जाने के बाद पीहर चली जाती थी, जिससे अपीलार्थी की वृद्ध माता को घर में अकेले रहना पड़ता था। प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया वर्ष 2014 में अपीलार्थी को बिना बताए अपना तमाम सामान व पुत्र शेरसिंह को साथ लेकर पीहर चली गई, तब से प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया अपने पीहर में ही निवास कर रही है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया के विरुद्ध धारा 09 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दांपत्य संबंधों की पुनर्स्थापना की याचिका भी प्रस्तुत की, जिसमें सम्मन तामीली के बावजूद भी प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई और अपीलार्थी के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना व घरेलू हिंसा का प्रकरण प्रस्तुत कर दिया। प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया ने स्वयं अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि वह खेती का कार्य करती है और अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा उसके साथ मारपीट करने के संबंध में उसने किसी भी जगह पुलिस थाना या आर्मी ऑफिसर को कोई लिखित शिकायत नहीं की, ना ही मारपीट संबंधी कोई मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली पर पेश की गई। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिया को चाकू मारने बाबत् भी कोई रिपोर्ट कहीं पर पेश नहीं की गई। जिससे साफ जाहिर होता है कि मारपीट संबंधी कहानी पूर्णतया झूठी है। चाकू लगने के बाद गंभीर चोट आना और उसका इलाज करवाया जाना स्वाभाविक था, जिसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट व शिकायत पत्रावली पर पेश नहीं की गई। प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया द्वारा अपीलार्थी की आय को भी प्रमाणित नहीं किया गया। अपीलार्थी को अपनी वृद्ध माता की सार संभाल व इलाज में व्यय करना पड़ता है। प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया स्वयं खेती से आय अर्जित कर रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को भरण–पोषण के लिए उत्तरदायी होने के तथ्य को प्रमाणित किए बिना ही उसे भरण–पोषण का उत्तरदायी मानकर विधिक त्रुटि की है। अतः उपरोक्त समस्त कारणों से अपीलाधीन निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। अंत में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों के आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 20.02.2025 को अपास्त किया जाकर निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

10– जिसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया द्वारा लिखित बहस पेश कर दौराने बहस तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया का विवाह अपीलार्थी से

प्रकरण प्रस्तुति से लगभग 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जिस समय अपीलार्थी भारतीय सेना में कार्यरत होकर प्रतिमाह 25 से 30 हजार रुपये वेतन अर्जित करता था। इनके वैवाहिक जीवन से तीन संताने क्रमशः पुत्री अंजली व दो पुत्र सूरज सिंह व शेर सिंह उत्पन्न हुए, जिनमें से शेरसिंह प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया के साथ निवास कर रहा है। अपीलार्थी ने प्रारंभ से ही अपने पति एवं पिता के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, ना ही बच्चों के भरण–पोषण व शिक्षा दीक्षा संबंधी कोई खर्च वगैरह दिया, बल्कि हमेशा प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया के साथ मारपीट व उत्पीड़न ही किया है। गवाह पी.डब्ल्यू 02 डाली देवी, जो अपीलार्थी छीतर सिंह की सगी बहन है, उसके द्वारा भी अपीलार्थी का समर्थन नहीं कर प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया का समर्थन किया गया है। अपीलार्थी विवाहित पिता होने के बाद भी निर्मला पुत्री फतेहसिंह से अवैध संबंध रखने लग गया, जिस पर एतराज किए जाने पर प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया के साथ मारपीट की गई। प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया का खेती से कोई अच्छी आय प्राप्त नहीं होती है। उक्त प्रकरण के मूल प्रकरण को प्रस्तुत किए करीब 11–12 वर्ष हो चुके हैं, इतने वर्षों मं महंगाई में काफी वृद्धि हुई है तथा अपीलार्थी की आय में भी तीन गुना वृद्धि हो चुकी है, जिसकी वर्तमान आय 90,000/–रूपये प्रतिमाह चली आ रही है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया को उसके व उसके पुत्र के लिए लगभग 45,000/–रुपये दिलाया जाना न्यायोचित था, किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल 12,000/–रुपये प्रतिमाह भरण–पोषण दिलाए जाने में भारी भूल की है। उक्त भरण–पोषण की आय से वर्तमान में जीवनयापन करना संभव नहीं है, इसलिए कुल 45,000/–रुपये प्रतिमाह भरण–पोषण दिलाया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाकर प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया को उसके व उसके पुत्र के लिए 45,000/–रुपये भरण–पोषण, शिक्षा–दीक्षा एवं अन्य खर्चों के लिए दिलाए जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किएः–

- R. Ananda Prakash vs. A. Malarvizhi, Crlc (Md) no. 1282/2025
- Sunita kachawaha & ors. vs. Anil kachawaha, 2015 Cri. LJ 659 (SC)
- Reema Salkan vs. Sumer singh Salkan, AIR 2018 (SC) 4606

11– प्रकरण के निस्तारण हेतु विद्वान अभिभाषकगण के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं आलौच्य निर्णय दिनांक 20.02.2025 एवं हस्तगत अपील मीमो का का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत माननीय न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

12– इस प्रकरण के निस्तारण हेतु हमें यह देखना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 20.02.2025 अशुद्ध, अवैध एवं अनौचित्यपूर्ण है अथवा नहीं ?

13– इसके संबंध में तनकीवार विवेचन इस प्रकार हैः–

<u>विचारणीय बिंदु संख्या– 01</u>

14- उपरोक्त विचारणीय बिंदु को साबित करने का भार प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया पर रखा गया, चूंकि हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया उगमा और अपीलार्थी/अप्रार्थी छीतर सिंह दोनों आपस में विवाहित पति–पत्नी हैं, जिनका विवाह काफी समय पहले हुआ और मुकलावा वर्ष 2006 में हुआ, जिनके दाम्पत्य जीवन से तीन संतानें क्रमशः पुत्री कुमारी अंजली (आयु लगभग 15 वर्ष), पुत्र सूरज सिंह (आयु लगभग 14 वर्ष) तथा पुत्र शेरसिंह (आयु लगभग 09 वर्ष) है। अपीलार्थी/अप्रार्थी का आर्मी में फौजी होना निर्विवादित तथ्य है। अपीलार्थी/अप्रार्थी ने हस्तगत अपील की बहस के दौरान अपील मीमो में लिखित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए यह तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिया के साथ किसी तरह की कोई घरेलू हिंसा कारित नहीं की गई, बल्कि प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया द्वारा ही अपीलार्थी के पास आकर अपने वैवाहिक जीवन का निर्वहन नहीं करने पर अपीलार्थी ने प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया के विरुद्ध हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 09 के तहत याचिका पारिवारिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया को तामील हो जाने के उपरांत भी वह बदनियतिवश न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई और अपीलार्थी/अप्रार्थी के पास आकर रहने से बचने के लिए ही प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया ने दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का प्रकरण प्रस्तुत किया। जबकि प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर यह तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे कि प्रत्यर्थिया ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी व अपने गवाहान की साक्ष्य से अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया के साथ शारीरिक और मानसिक हिंसा कारित करना बखूबी साबित व प्रमाणित किया, जिस पर विचारण न्यायालय ने विचारणीय बिंदु संख्या 01 को प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया के पक्ष में प्रमाणित माना, साथ ही प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी कथन न्यायालय के समक्ष रखे कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया और उसके पुत्र शेरसिंह के जीवन निर्वाह हेतु अपीलार्थी/अप्रार्थी के विरुद्ध क्रमशः 5000/–रुपये एवं 7000/–रुपये, कुल राशि 12,000/–रुपये का जो आदेश पारित किया है, वह वर्तमान समय में महंगाई को देखते हुए कम है। अतः प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया व उसके पुत्र को जीवन निर्वाह, भरण–पोषण, शिक्षा–दीक्षा के लिए अपीलार्थी/अप्रार्थी से 45,000/–रुपये दिलावाए जाने का निवेदन किया।

15– दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं आलौच्य निर्णय दिनांक 20.02.2025 के अवलोकन के पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया उगमा पी.डब्ल्यू 01 ने साक्ष्य के शपथ पत्र में मूल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद की और अपीलार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर यह बयान दिया कि छीतर सिंह के साथ वह जब भी रही, तब तक वह रोज उसके साथ मारपीट करता था, फिर खुद यह बयान दिया कि जब भी वह शराब पीकर आता, उसके साथ मारपीट करता था। छीतर सिंह के साथ 10 साल रहना

प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया ने स्वीकार किया। छीतर सिंह ने ससुराल में भी उसके साथ मारपीट की, लेकिन इस तरह की मारपीट के संबंध में कोई लिखित शिकायत पुलिस थाना या आर्मी ऑफिसर को नहीं की गई। छीतर सिंह ने प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया के पेट में चाकू डाल दिया था, इस संदर्भ में भी उसने कोई रिपोर्ट पुलिस थाना में नहीं की, फिर खुद यह बयान दिया कि छीतर सिंह ने उसे डरा–धमकाकर घर पर सुला दिया था। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया के प्रतिपरीक्षण के दौरान पेश दस्तावेजात प्रदर्श डी–1 और प्रदर्श डी–2 नोटिस व उसकी पोस्टल रसीद के संदर्भ में प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया ने यह बयान दिया कि यह नोटिस उसके पास कभी नहीं आया था और इस कथन को गलत होना कथित किया कि छीतर सिंह द्वारा प्रदर्श डी–3 याचिका अंतर्गत धारा 09, हिंदू विवाह अधिनियम, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु उसके विरुद्ध पेश की गई है। प्रदर्श डी–4 दिनांक 21.08.2017, जो कि छीतर सिंह द्वारा उगमा (प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया) के विरुद्ध धारा 13, हिंदू विवाह अधिनियम की याचिका में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि है, के संदर्भ में प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया ने यह बयान दिया कि उसके न्यायालय में नहीं आने के कारण छीतर सिंह के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई थी। फिर खुद यह बयान दिया कि उसको यह नोटिस प्राप्त ही नहीं हुए थे। इस कथन को गलत होना कथित किया कि अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तलाक याचिका का नोटिस उसे मिल गया हो और नोटिस मिलने के बाद भी वह न्यायालय में नहीं आई हो। प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया ने स्वयं का छीतर सिंह से अलग होकर अपने माता–पिता के पास पिछले 10 वर्षों से रहना कथित किया।

16– इसी तरह प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया के पिता हुकुम सिंह पी.डब्ल्यू 03 ने भी अपने सशपथ बयानों में प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया उगमा देवी के बयानों की ताईद में ही साक्ष्य लेखबद्ध करवाई और अपीलार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण करने पर यह बयान दिया कि उसके शपथ पत्र में मारपीट के जो तथ्य अंकित किए गए हैं, उस संबंध में कोई मेडिकल संबंधी दस्तावेज पेश नहीं किए। छीतर सिंह द्वारा उगमा के पेट में चाकू डलने के बाद प्राइवेट डॉक्टर से पट्टी करवाई थी, फिर खुद यह बयान दिया कि छीतर सिंह की नौकरी को बचाने के लिए उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। छीतर सिंह ने लिखित में आश्वासन दिया था कि आगे से ऐसी मारपीट व लड़ाई–झगड़ा नहीं करेगा।

17– उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया ने अपने व गवाहान की साक्ष्य से अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित करना तथा शारीरिक व मानसिक हिंसा कारित करना बखूबी साबित व प्रमाणित किया। अप्रार्थी/अपीलार्थी छीतर सिंह द्वारा अपने पक्ष समर्थन में उक्त तथ्यों के खंडनस्वरूप स्वयं की या किसी अन्य गवाह को साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया, केवल मात्र प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया से जिरह के दौरान प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया के टेंडर किए गए दस्तावेजात प्रदर्श डी–1 लगायत डी–6 प्रदर्शित करवाए थे, जिसमें से प्रदर्श डी–5 व

प्रदर्श डी–6 दस्तावेजात न्यायालय द्वारा धारा 13, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पारित आदेश व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि है, जिनमें न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2018 को दोनों पक्षों के मध्य संपन्न हुए विवाह को प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए विघटित किया गया था, जबकि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थिया ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत विचाराधीन अपील से संबंधित मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2015 को पेश किया गया था। अतः प्रार्थी पक्ष की साक्ष्य से यह साबित व प्रमाणित है कि विवाह के कुछ समय पश्चात ही अप्रार्थी/अपीलार्थी ने प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया के साथ गाली–गलौच व मारपीट कर उसके साथ घरेलू हिंसा कारित की एवं अपीलार्थी/अप्रार्थी की पोस्टिंग स्थल में भी, जहां–जहां वह साथ रही, अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा शराब पीकर मारपीट की गई। उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्य के आलेख में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विचारणीय बिंदु संख्या 01 को प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया के पक्ष में तय किए जाने का जो मत प्रतिपादित किया गया है, उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि एवं अनियमितता नहीं होने से उसे तदनुसार ही पुष्ट किया जाता है।

अनुतोष–

18– उक्तानुसार यह स्वीकृत स्थिति है कि पक्षकारान के दाम्पत्य संबंधों से उत्पन्न तीन संतानों में से दो संतान, पुत्री कुमारी अंजली व पुत्र सूरज सिंह अपीलार्थी/अप्रार्थी के साथ निवासरत हैं और एक पुत्र शेर सिंह प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया के साथ निवास कर रहा है। प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया के स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ होने के कारण एवं अपीलार्थी/अप्रार्थी के आर्मी में फौजी होने एवं मूल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय वर्ष 2015 में अप्रार्थी का वेतन 25 से 30 हजार रुपये मासिक होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया के भरण–पोषण हेतु 5000/–रुपये प्रतिमाह तथा पुत्र शेर सिंह की शिक्षा दीक्षा एवं भविष्य के लिए 7000/–रुपये प्रतिमाह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 14.12.2015 से अदा किए जाने का आदेश अपीलार्थी/अप्रार्थी को दिया गया है। जिसे अपीलार्थी ने अपने अपील मीमो एवं बहस के दौरान निरस्त किए जाने का निवेदन किया। जबकि अपीलार्थी/अप्रार्थी छीतर सिंह का यह विधिक व नैतिक दायित्व था कि वह अपनी पत्नी एवं पुत्र का भरण–पोषण करे। चूंकि अपीलार्थी की ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया उगमा ने दूसरा विवाह कर लिया हो, इसलिए वह भरण–पोषण राशि अदायगी के संदर्भ में कोई आपत्ति नहीं उठा सकता। साथ ही वर्ष 2015 से वर्ष 2026 के दरमियान अप्रार्थी/अपीलार्थी के मासिक वेतन में हुई बढोतरी की स्वाभाविक स्थिति एवं वर्तमान में बढती महंगाई दर एवं बच्चों की शिक्षा–दीक्षा में होने वाले व्यय को देखते हुए अप्रार्थी/अपीलार्थी का उसके पुत्र शेरसिंह के प्रति यह दायित्व बढ जाता है कि वह अपने पुत्र शेरसिंह के भरण–पोषण, शिक्षा–दीक्षा एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए 10,000/–रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण की राशि अदा करे। इस संदर्भ में प्रत्यर्थिया/प्रार्थिया द्वारा पेश माननीय न्यायिक दृष्टांत–**R. Ananda Prakash vs.**

A. Malarvizhi, Crl (Md) no. 1282/2025 में माननीय न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि–

"It is a man's legal and moral duty to maintain his mother/wife during her lifetime. It is the social responsibility of the husband and sons to maintain their wife and mother, as the invaluable role and care of a mother cannot be compensated, no matter how much her children pay her back in a lifetime."

19– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आलौच्य निर्णय दिनांक 20.02.2025 में प्रार्थिया/प्रत्यर्थिया के साथ किसी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित नहीं करने एवं प्रार्थिया/प्रत्यर्थिया के भरण–पोषण हेतु राशि 5000/–रुपये प्रतिमाह अदा किए जाने के जो आदेश पारित किए गए हैं, उसमें हस्तक्षेप किए जाने के कोई आधार प्रकट नहीं होते हैं तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा पुत्र शेरसिंह के भरण–पोषण हेतु निर्धारित राशि 7000/–रुपये प्रतिमाह में आंशिक संशोधन करते हुए राशि 7000/– रूपये से बढाकर राशि 10,000/– रूपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

ः: आदेश ः:

20– परिणामतः अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिया/प्रत्यर्थिया के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील **अस्वीकार** कर **खारिज** की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थिया/प्रत्यर्थिया के साथ किसी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित नहीं करने एवं प्रार्थिया/प्रत्यर्थिया के भरण–पोषण हेतु राशि 5000/–रुपये प्रतिमाह अदा किए जाने बाबत् पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 20.02.2025 की पुष्टि की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा पुत्र शेरसिंह के भरण–पोषण हेतु निर्धारित राशि 7000/–रुपये प्रतिमाह में **आंशिक संशोधन** करते हुए राशि 7000/– रूपये से बढाकर राशि 10,000/– रूपये प्रतिमाह निर्धारित की जाती है, शेष आदेश यथावत रहेंगे। निर्णय की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलंब लौटाई जावें।

(डॉ. वीनू नागपाल)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01,
जिला ब्यावर

21– निर्णय व आदेश आज दिनांक **30.04.2026** को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. वीनू नागपाल)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01,
जिला ब्यावर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.04.30 18:09:41 IST